न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 13/2023 FSSA

1. सरकार जरिये डॉ. मदनलाल गूजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री कमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री छोटे लाल शर्मा एफ.बी.ओ. मैसर्स कमलेश कचौरी वाला एवं एम.एम.बी. स्वीट सोमनाथ चौराहा दौसा निवासी राजधानी अस्पताल के पीछे, सूर्य नगर दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस धारा 26 की उप धारा 2(II) एवं दंडनीय धारा 51

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 24.01.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक डॉ मदन लाल गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.12.2022 को 01.45 PM पर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण के द्वारा **Re-Used Cooking Oil** का नमूना लेने बाबत् निर्देशित करने पर मैसर्स कमलेश कचौरी वाला एवं एम.एम.बी. स्वीट सोमनाथ चौराहा दौसा जिला दौसा पर पहुंचा। वहां पर श्री कमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री छोटे लाल शर्मा को अपना परिचय दिया एवं पूछने पर विक्रेता ने स्वयं को मैसर्स कमलेश कचौरी वाला एवं एम.एम.बी. स्वीट सोमनाथ चौराहा दौसा जिला दौसा का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र आवेदन दिखाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता की उपस्थिति में मेसर्स कमलेश कचौरी वाला एवं एम.एम.बी. स्वीट सोमनाथ चौराहा दौसा जिला दौसा का निरीक्षण करने पर पाया कि संस्था के गोदाम में कचोरी, समोसा व नमकीन व तेल से निर्मित मिठाईयां तैयारशुदा रखी हुई थी तथा लोहे की 2 कडाईयां जिसमे उपयोग किया हुआ मूंगफली तेल खुला **(Re-Used Ground Nut Oil Loose)** रखा हुआ था। जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विक्रेता को फार्म 5 ए की सूचना देते हुये विक्रेता व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि यह उपयोग किया हुआ मूंगफली तेल खुला **(Re-Used Ground Nut Oil Loose)** को वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 5 किग्रा उपयोग किया हुआ मूंगफली तेल खुला **(Re-Used Ground Nut Oil Loose)** में से 1600 ग्राम उपयोग किया हुआ मूंगफली तेल खुला एक साफ व सूखे स्टील के जग में क्रय किया। जिसकी कीमत विक्रेता को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 265/— (अक्षरे दो सौ पैसठ रूपये) नकद देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा उपयोग किया हुआ मूंगफली तेल खुला **(Re-Used Ground Nut Oil Loose)** कुल मात्रा 1600 ग्राम को विक्रेता एवं गवाहान को दिखाकर 400-400 ग्राम इलेक्ट्रोनिक मापक मशीन से तुलवाकर साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में भरकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन लगाकर एयरटाइट बन्द किया तथा नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने की दिनांक व स्थान व लिये गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक **AG-3134** अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल पर विक्रेता तथा गवाहान

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2024.02.05 10:43:47 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय दौसा को दिनांक 28.12.2022 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाने हेतु भेजा गया एवं नमूना जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 28.12.2022 को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर से उक्त खाद्य पदार्थ की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस./934/एक्ट/2022/13 दिनांक 06.02.2023 के अनुसार विक्रेता श्री कमलेश कुमार शर्मा से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु खरीदा गया उपयोग किया हुआ मूंगफली तेल खुला **(Re-Used Ground Nut Oil Loose)** एफ.एस.एस.ए की धारा 3(1)(**z**)(**x**) का उल्लंघन करने के कारण अवमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./934/एक्ट/2022/13 दिनांक 06.02.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ उपयोग किया हुआ मूंगफली तेल खुला **(Re-Used Ground Nut Oil Loose)** के नमूने की जांच रिपोर्ट में **Saponification Value** 187.60 पाई गई है। जो मानक स्तर के अनुसार 188.0 से 196.0 के मध्य होनी चाहिये थी। उक्त नमूने में **Iodine Value** 101.13 पाई गई है जो कि मानक स्तर के अनुसार 85.0 से 99.0 के मध्य होनी चाहिये। उक्त नमूने में **Acid Value** 1.01 पाई गई है। जो कि 0.5 से अधिक नहीं होनी चाहिये थी। उक्त नमूने में **Acid Value** आवश्यकता से काफी अधिक मात्रा में पाई गई है। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार यह खाद्य पदार्थ अवमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ उपयोग किया हुआ मूंगफली तेल खुला **(Re-Used Ground Nut Oil Loose)** का इस्तेमाल कर विक्रेता ने आम लोगो के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड किया है। विक्रेता द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय कर मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(**ii**) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2024.02.05 10:43:47 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी के द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ मूंगफली के तेल में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। केवल मात्र उपयोग किया हुआ मूंगफली तेल खुला **(Re-Used Ground Nut Oil Loose)** का इस्तेमाल बार–बार कचौरी बनाने के लिये उपयोग में लिया गया है। बार–बार तेल को उपयोग में लेने के कारण जांच रिपोर्ट में यह अवमानक **(Substandard)** स्तर का बताया गया है। किसी प्रकार की कोई मिलावट इसमें नहीं बतायी गई है। प्रार्थी द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जावेगी। प्रार्थी पर कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ उपयोग किया हुआ मूंगफली तेल खुला **(Re-Used Ground Nut Oil Loose)** का नमूना एफ.एस.एस.ए की धारा 3(1)(**z**)(**x**) का उल्लंघन होने से अवमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा उक्त अवमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल कर मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(**II**) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अवमानक **(Substandard)** स्तर का खाद्य पदार्थ उपयोग किया हुआ मूंगफली तेल खुला **(Re-Used Ground Nut Oil Loose)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री कमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री छोटे लाल शर्मा एफ.बी.ओ. मैसर्स कमलेश कचौरी वाला एवं एम.एम.बी. स्वीट सोमनाथ चौराहा दौसा निवासी राजधानी अस्पताल के पीछे, सूर्य नगर दौसा पर 15000/–(अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 24.01.2024 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के निर्धारित मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/**FSSA/2024/** दिनांकः– .01.2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री कमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री छोटे लाल शर्मा एफ.बी.ओ. मैसर्स कमलेश कचौरी वाला एवं एम. एम.बी. स्वीट सोमनाथ चौराहा दौसा निवासी राजधानी अस्पताल के पीछे, सूर्य नगर दौसा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2024.02.05 10:43:47 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा